भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4058
सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)
गिग अर्थव्यवस्था में वृद्धि

4058. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विगत तीन वित्त वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गिग अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वित्त वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गिग कामगारों के लिए उचित कार्य दशाएं, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करने और कामगारों के अधिकारों के साथ लचीलेपन को संतुलित करने के लिए विचाराधीन नियामक ढाँचे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, देश में गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन हो जाने का अनुमान है।

पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

उक्त संहिता में जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए समुचित सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी बजट घोषणा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (प्लेटफॉर्म कामगारों) के गिग कामगारों के कल्याण के लिए कई प्रमुख उपायों जैसे ई- श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण करना, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल लाभ विस्तारित किए जाने की घोषणा की है।

*****